

आरक्षित वन क्षेत्र जनपद चम्पावत की शारदा नदी उपखनिज क्षेत्र का आगामी 10 वर्षीय (वर्ष 2023 से 2033 तक) पुर्न आवंटन प्रस्ताव प्रेषण के सम्बन्ध में (क्षेत्रफल-384.69 है०)।

प्रपत्र- 2.2

भाग- III
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ। (दि 22/03/2022)
15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ।
16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विषेय सिफारिशें।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या अनुसार संस्तुति की जाती है।

तिथि 22/03/2022

स्थान हल्द्वानी।


(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी